२६।०४।२२

२६।०४।२२ पत्रावली आज पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। आवाज दिलाई गयी। बावजूद आवाज दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादीगण से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखकर जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नियमानुसार पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:48 IST
Reason: SelfAttested

म: ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 125/2022

प्रार्थीगण :-

1. सरादेवी पत्नी हीमताराम
2. जाति पुरोहित निवासी सालू की ढाणी, सिन्धासवा हरनियान हाल निवासी तातडा
3. सोहनलाल पुत्र नेमीचन्द
   जाति ओसवाल निवासी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. रामचन्द्र पुत्र किस्तूरा
2. धनी पुत्री वीरमा
3. प्यारी पुत्री वीरमा
4. वरजू पुत्री वीरमा जातियान वणाक निवासी सालू की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
5. हुकमा पुत्र भला जाति विश्नोई निवासी सालू की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
6. सोहनी पत्नी बाबूलाल
7. सुरती पत्नी भीयाराम जाति विश्नोई निवासी सालू की ढाणी सिन्धासवा हरनियान
8. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीनी**

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 26.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सालू की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 596/2 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा [illegible] पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार [illegible] की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के राजस्व सालू की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 596/2 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26/12/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:48 IST
Reason: SelfAttested